स्वावलम्बन योजना

वर्ष 2009–10 से प्रारम्भ इस योजना का उद्देश्य निर्धन, विधवा, परित्यक्ता, ग्रामीण एवं गरीब महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना है। महिलाओं को पारम्परिक तथा गैर पारम्परिक व्यवसायों में सार्वजनिक उपक्रमो/निगमों/गैर सरकारी संगठनों/SHGs के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार उपलब्ध कराये जाते है। योजना अन्तर्गत समस्त जिलों से विभागीय नार्म्स अनुसार अनुभवी, महिला कार्यों में संलग्न स्वयंसेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा राज्य स्तर पर अग्रेषित किए जाते है। (संलग्न– आवश्यक विवरण)

राजस्थान सरकार
निदेशकालय महिला अधिकारिता

स्वावलम्बन योजना
(2014–2015)

स्वावलम्बन योजना का उद्देश्य निर्धन, विधवा, परित्यक्ताओं एवं पिछड़ी महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना है। इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं को पारम्परिक तथा गैर पारम्परिक व्यवसायों हेतु विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से आयजनक गतिविधियों में प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार की ओर अग्रसर किया जाता है। महिलाओं को स्वरोजगार तक ले जाने के लिए फॉलोअप/हैंड होल्डिंग भी कराई जाती है। उक्त योजनांतर्गत निम्न गतिविधियों में प्रशिक्षण दिया जाता है–

क्र. स.	गतिविधि का नाम	अवधि दिवस में (प्रति प्रशिक्षण दिवस 4 घंटे)	प्रति बैच लाभार्थी	कुल व्यय सीमा
1.	रेडीमेड़ गारमेन्टस (पुरूष)	60 दिवस	30	51150
2.	रेडीमेड़ गारमेंन्टस (महिला)	60 दिवस	30	51150
3.	कसीदाकारी (मशीन/हाथ)	30 दिवस	30	31350
4.	रेग्जीन बैग्स/कपड़े के बैग बनाना	30 दिवस	30	31350
5.	साफ्ट टॉयज	30 दिवस	30	26400
6.	ब्यूटीशियन	60 दिवस	20	46750
7.	जरी–शिल्प	45 दिवस	30	37950
8.	पैचवर्क	45 दिवस	30	37950
9.	आरी तारी वर्क	60 दिवस	30	46200
10.	चमड़े का फैन्सी सामान बनाना	30 दिवस	20	26950
11.	खाद्य प्रसंस्करण (कोई 5 प्रसंस्करण)	30 दिवस	30	31350
12.	बांस/फाईबर से निर्मित कलात्मक वस्तुएं	30 दिवस	30	34650
13.	टाई एण्ड डाई	30 दिवस	30	34650
14.	जूते/जूतियां बनाना	45 दिवस	30	42900
15.	ज्वेलरी मेकिंग एण्ड डिजाइनिंग	45 दिवस	30	38500
16.	लाख से निर्मित चूडीयां एवं कलात्मक वस्तुएं	30 दिवस	20	28050
17.	मार्बल एवं कल्चर मार्बल से निर्मित कलात्मक वस्तुएं (stone painting)	45 दिवस	30	37950
18.	मसाले बनाना एवं पेकेजिंग	15 दिवस	30	16500
19.	हेंडमेड पेपर/उत्पाद निर्माण	30 दिवस	30	34650
20.	Executive bag बनाना	30 दिवस	30	34650
21.	पेपर मेशी उत्पाद निर्माण	30 दिवस	30	34650
22.	मशरूम खेती	15 दिवस	30	18150

23.	आंवला खाद्य प्रसंस्करण	15 दिवस	30	18150
24.	लकड़ी की कलात्मक वस्तुएं	60 दिवस	20	43450
25.	हस्त निर्मित ब्लॉक प्रिन्टिंग	45 दिवस	30	37950
26.	सेनेट्री नेपकीन	15 दिवस	30	18700
27.	मार्केटिंग, सेल्स एवं प्रचार (वेंडर डवलपमेंट)	60 दिवस	30	41250
28.	महिला मोटर ड्राइविंग	60 दिवस	20	51150
29.	हाउस कीपिंग	30 दिवस	20	29700
30.	फीमेल गार्ड	30 दिवस	30	29700
31.	पत्तल/दोने निर्माण कार्य	15 दिवस	30	16500
32.	विविध प्रशिक्षण/नवाचार गतिविधि			

- उपरोक्त ट्रेड्स की अवधि एवं राशि का विस्तृत विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर अंकित है –

योजना का उद्देश्य

योजना के अन्तर्गत महिलाओं को परम्परागत तथा गैर परम्परागत व्यवसायों में आयजनक प्रशिक्षण दिलवाकर उन्हे लिए स्वरोजगार की ओर अग्रसर कर आत्मनिर्भर बनाना है।

क्रियान्वयन अभिकरण

यह योजना सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, विश्वविद्यालयों/सरकारी/गैर–सरकारी संगठन/महिला स्वयं सहायता समूह संस्थान/महिला स्वयं सहायता समूहों/प्रन्यास/सहकारी समितियों के माध्यम से क्रियान्वित की जायेगी।

लक्षित वर्ग/लाभार्थी

- 30%एकल नारी/विधवाएं/एड्स पीड़ित/परित्यक्ता महिलाओं
- पिछडे तबकों की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं, स्वयं सहायता समूह सदस्य एवं किशोरी बालिकाएं

क्रियान्वयन अभिकरण की पात्रता

1 संस्था के पंजीकरण के बाद जिस क्षेत्र में वह कार्य करना चाहती है उसमें कम से कम तीन वर्ष का स्वरोजगार गतिविधियों का अनुभव हो।

2 संस्था महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण हेतु कार्यरत हो।

3 प्रशिक्षण हेतु पर्याप्त स्थल, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण स्थल पर सुगम माहौल एवं समस्त संसाधन होना आवश्यक होगा।

4 संस्था द्वारा प्रस्तावित गतिविधि से संबंधित समस्त आधारभूत सुविधाएं तथा आवश्यक मशीनरी उपकरण (स्वयं संस्था अथवा किराये की) होना अति आवश्यक है।

5 संस्था के पास गत तीन वर्ष का टर्न ओवर प्रतिवर्ष न्यूनतम एक लाख होना आवश्यक है।

6 संस्था द्वारा प्रस्तावित प्रशिक्षकों का संबंधित ट्रेड में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण पत्र तथा उसकी सहमति संलग्न करना आवश्यक होगा।

7 राज्य सरकार के दिशा निर्देश अनुरूप कार्य नहीं किया जाना पाये जाने अथवा अनियमितता पाये जाने की स्थिति में संस्था को दिया गया अनुदान लौटाना होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में राज्य स्तरीय Empowered Committee का निर्णय अंतिम होगा।

8 संस्था को स्वावलम्बन योजनान्तर्गत प्रस्तावित गतिविधि के आय–व्यय का पृथक से ब्यौरा अनिवार्य रूप से रखना होगा।

9. योजनान्तर्गत संस्था द्वारा विभाग को दिए गए प्रस्ताव में शामिल की गई लाभान्वितों की सूची का सत्यापन प्रशिक्षण प्रारम्भ करने से पूर्व जिले के कार्यक्रम अधिकारी म.अ. से कराना अनिवार्य होगा तथा लाभांन्वितो की सूची में संशोधन की आवश्यकता होने पर कार्यक्रम अधिकारी म.अ. की सहमति से किया जा सकेगा।

10. संस्था की कुल चल–अचल सम्पत्ति का ब्यौरा विस्तृत एवं स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना अति आवश्यक है।

11. क्रियान्वयन संस्था यदि महिला स्वयं सहायता समूह हो तो –

- समूह तीन वर्ष पुराना हो।
- समूह आयजनक गतिविधि में संलग्न हो।
- प्रस्तावित गतिविधि के बजट के बराबर राशि आन्तरिक ऋण/बैंक में जमा हो।

आवेदन प्रकिया–

1 निदेशालय द्वारा संस्थाओं से आवेदन प्राप्त करने हेतु दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी।

2 विज्ञप्ति प्रकाशन के पश्चात् जिलों के कार्यक्रम अधिकारी म.अ. कार्यालयों से निर्धारित शुल्क रू. 250/– देकर आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

3 आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर प्रस्ताव सहित (एक प्रति में) निर्धारित अन्तिम तिथि तक संबंधित जिले के कार्यक्रम अधिकारी, म.अ. कार्यालय में यथा समय जमा कराना होगा।

4 एक स्वयं सेवी संस्था किसी भी एक जिले के किसी भी आईसीडीएस ब्लॉक के लिए एक ही गतिविधि हेतु आवेदन कर सकती है। एक से अधिक ब्लॉक अथवा गतिविधि हेतु आवेदन करने के लिए संस्था को पृथक से आवेदन करना होगा।

चयन प्रकिया–

1 निर्धारित तिथी तक जिले में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की जांच मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा की जाकर सफल आवेदनकर्ता NGOs अभिशंषा सहित प्रस्ताव निदेशालय को भिजवाये जायेंगे।

2 **जिलों से अभिंशषित प्रस्तावों में से विभागीय सशक्तिकरण समिति (Empowerment Committee) द्वारा विचार किया जाकर अंतिम रूप से संस्थाओं का चयन किया जायेगा।**

3 स्वयं सहायता समूह द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की स्थिति में उनके द्वारा तैयार किये जा रहें उत्पादों की गुणवत्ता से संतुष्ट होने पर ही उन्हें प्रस्ताव स्वीकृत किया जाएगा।

4. चयन के संदर्भ में राज्य स्तरीय Empowered Committee का निर्णय अंतिम होगा। राज्य स्तरीय Empowered Committee को किसी भी संस्था के प्रस्ताव को निरस्त करने का स्वविवेकाधिकार होगा।

अन्य शर्तें/निर्देश–

1. संस्था कों कार्यादेश मिलने के पश्चात संबंधित जिले के कार्यक्रम अधिकारी म.अ. से प्रशिक्षणार्थियों की सूची का मौके पर सत्यापन कराये जाने के पश्चात ही प्रशिक्षण आरम्भ किया जाए।
2. संस्था को अपने आवेदन पत्र के साथ प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचने का पूर्ण पता, प्रशिक्षण स्थल किराये की स्थिति में होने पर भवन मालिक का नाम तथा संस्था से सम्पर्क हेतु दूरभाष एवं मोबाइल नंबर भी प्रस्तुत करना होगा
3. प्रशिक्षण आरंभ होने के साथ ही संस्था को प्रशिक्षण स्थल के बाहर बैनर/बोर्ड लगाना आवश्यक होगा जिसमें प्रशिक्षण का विवरण एवं तिथि का लेख किया गया हो।
4. संस्था द्वारा प्रस्तावित गतिविधि के अन्तर्गत प्रशिक्षण में उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल से निर्मित सामग्री में से श्रेष्ठ डिजाईन के सेम्पल तकनीकी दक्षता एवं गुणवत्ता जांचने के लिए विभाग को भेजने होगें तथा शेष निर्मित सामग्री प्रशिक्षणार्थियों को कौशल विकास के लिए वितरित की जायेगी।
5. प्रशिक्षण की अवधि प्रति प्रशिक्षण दिवस कम से कम 4 घंटे होगी।
6. संस्था द्वारा प्रशिक्षण समाप्ति के 6 माह बाद तक प्रशिक्षणार्थीयों से निरन्तर सम्पर्क कर उन्हे स्वरोजगार कार्य प्रारम्भ करने में आ रही समस्याओं का निदान करवाते हुए स्वरोजगार सुनिश्चित करने हेतु फॉलोअप/हैंड–होल्डिंग की जायेगी।
7. संस्था द्वारा कार्य पूर्ण नहीं करने पर संस्था को विभाग द्वारा दी गई राशि लौटानी होगी।

भुगतान प्रकिया

संस्था द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण का समय–समय पर निदेशालय के अधिकारियो एवं **जिले के उपनिदेशक मबावि तथा कार्यक्रम अधिकारी म.अ.** द्वारा निरीक्षण किया जावेगा। प्रशिक्षण संतोषप्रद एवं निर्धारित प्रकिया अनुसार संपन्न होने के प्रमाणन के बाद कार्यक्रम अधिकारी,म.अ. द्वारा संस्था को इनके बैंक खाते में आन लाइन भुगतान चरणबद्ध तरीके से निम्नानुसार किया जावेगा–

1. प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत राशि का 25 प्रतिशत का भुगतान संस्था को प्रशिक्षण प्रारंभ करने के उपरान्त किया जायेगा।
2. द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत राशि का 65 प्रतिशत का भुगतान प्रशिक्षण समाप्ति पर दो माह में उप निदेशक अथवा कार्यक्रम अधिकारी, म.अ. द्वारा निम्नलिखित समस्त सूचनाएं प्राप्त करने के पश्चात् किया जायेगा –

- प्रशिक्षण का स्थान
- प्रशिक्षण आयोजित तिथि (कब से कब तक)
- प्रशिक्षणार्थी/मास्टर क्राफ्टमेन/सहायिका की उपस्थिति
- प्रशिक्षणार्थीयों की सूची जिसमें न्यूनतम 30 प्रतिशत विधवा, परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं हो
- संस्था द्वारा प्रस्तावित गतिविधि के अन्तर्गत प्रशिक्षण में उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल से निर्मित सामग्री में से श्रेष्ठ डिजाईन के सेम्पल तकनीकी दक्षता एवं गुणवत्ता जांचने के लिए विभाग को भेजने होगें तथा शेष निर्मित सामग्री प्रशिक्षणार्थियों को कौशल विकास के लिए वितरित की जायेगी।
- उपयोगिता प्रमाण पत्र (सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार)
- प्रशिक्षण सुचारू एवं संतोषप्रद सम्पन्न होने का प्रमाण पत्र
- योजना की प्रस्तावित ट्रेड की निर्धारित लागत अनुसार प्रशिक्षण में मदवार व्यय की गई राशि का विवरण एवं संबंधित समस्त मूल बिलो की प्रमाणित छाया प्रतियां क्रमवार संलग्न हो।

3. तृतीय किश्त के रूप में स्वीकृत राशि का 10 प्रतिशत राशि का भुगतान प्रशिक्षण पश्चात संस्था द्वारा 6 माह तक फॉलोअप/हैंडलोडिंग कर 60 प्रतिशत से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को कम से कम 1100/– रूपये प्रतिमाह आयअर्जन की स्थिति में लाने पर किया जायेगा। प्रशिक्षण समाप्ति के आठ माह पश्चात् इस आशय का प्रमाण पत्र संस्था द्वारा संबंधित जिले के कार्यक्रम अधिकारी,म.अ. द्वारा दिया जाएगा।

- **निर्धारित अवधि में भुगतान हेतु आवश्यक क्लेम प्रस्तुत नही करने की स्थिति में कुल भुगतान की 10% कटौती की जायगी। प्रशिक्षण समाप्ति के एक वर्ष तक भुगतान हेतु संस्था द्वारा आवश्यक क्लेम प्रस्तुत नही करने पर संस्था किसी प्रकार के भुगतान हेतु अधिकृत नही होगी।**

परिणाम –

स्वावलंबन योजना अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को "आत्मनिर्भरता" तक ले जाने हेतु संस्था द्वारा उन्हें स्वरोजगार से जोडा जायेगा तथा प्रशिक्षण समाप्ति से 6 माह तक महिलाओं का निरंतर हैंडहोल्डिंग (Followup) भी किया जायेगा, जिससे महिलाओं को स्वरोजगार की प्रारंभिक अवस्था (6 माह) में आने वाली समस्याओं से छुटकारा मिल सकेगा तथा महिलाएं निरंतर स्वरोजगार से जुडकर आत्मनिर्भर बन सकेगी।